खबर न्याय अन्याय की...

RNITC-UPHIN38806
www.judgementaajtak.com

जजमेंट आजतक

वर्ष 3, पृष्ठ 12, सहयोग राशि :₹5/- सम्पादकः अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट लखनऊ 2012, अंक-XIII

खरी खरी

मुफ्त मोबाइल मुट्ठी में। देश जाय भट्ठी में।।

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पी.सी., टैबलेट व लैपटाप की युवा लुभावन चुनावी घोषणा की अपार सफलता की नकल करते हुए कांग्रेस आने वाले आम लोकसभा चुनाव के मद्दे नज़र वोटर्स को वोट के लिए घूस देने की नियत से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले हर परिवार को एक मोबाइल व २०० मिनट फ्री टाक टाइम देने का मन बना रही है।

इस चुनावी मोबाइल योजना 'हर हाथ में फोन' पर जनता की गाढ़ी कमाई का लगभग ७००० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। यह इस सरकार का दिमागी दिवालियापन ही कहा जायेगा कि जिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, तन ढ़कने को कपड़ा नहीं, रहने को छत नहीं है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजने उनको स्वस्थ रखने के लिए दवा कराने के पैसे नहीं है उनके लिए मोबाइल क्या करेगा।

इस योजना को पढ़ने के बाद फ्रांस की क्रांति की एक छोटी सी बात याद आ गयी। यह महज इत्तेफाक है कि सोनिया का इतालवी नाम एंटोनिया माइनो है और उस वाकये में जो महरानी है उनका नाम भी इसी से मिलता जुलता मरी एंटोनियएट है जिन्होंने कहा था कि अगर इन गरीबों के पास रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते। फ्रांस की महरानी की उस नसीहत के बाद वहां की जनता में ऐसा आक्रोस फैला कि राजशाही को सदा के लिए जाना पड़ा। लेकिन अफसोस यह फ्रांस नहीं भारत है जहां कायर, काहिल और भ्रष्ट व गुलाम रहते हैं जो आन्दोलन तो दूर विरोध प्रदर्शन तक करने से डरते हैं।

भूखे, नंगो के हाथ में मोबाइल की कल्पना ठीक वैसे ही जैसे बिना भोजन की थाली। इन सत्ता लोलुपो को कौन समझाये कि इन गरीब परिवारों की पहली आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ और शिक्षा है न कि मोबाइल। आज देश में बिजली की जो स्थिति है उसे पूरा विश्व परिचित है जब बिजली ही नहीं आती तो मोबाइल क्या इस योजना के सूत्रधारों के पीछे प्लग लगाकर चार्ज किया जायेगा।

यह योजना एक तीर से कई शिकार करने जैसी लग रही है जिसमें वोटरों को घूस देना, जिस संस्था को यह काम दिया जायेगा उससे कमीशन खाना कुल मिलाकर एक और हजारों करोड़ का घोटाला चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। इसके सूत्रधारों की मंशा पर सवाल उठाना इसलिए भी लाजिमी है कि जब २०० मिनट का मुफ्त टाक टाइम खत्म हो जायेगा उसके बाद इन मोबाइलों का क्या होगा?

जब ये खराब हो जायेगा तो इनके बदलने/ठीक कराने की व्यवस्था क्या होगी? सबसे अहम इन राजनितिक दलों/संगठनों को चुनाव के ठीक पहले ही गरीबों की सुध क्यों आती है?

प्रायः यह देखा जाता है चुनाव के ठीक पहले लोक लुभावन योजनाएं बनायी जाती हैं जिनका मकसद चुनाव में वोट का तात्कालिक लाभ होता है लेकिन चुनाव खत्म होते ही योजना ध्वस्त हो जाती है और फायदा नेताओं/व्यापारियों का हो जाता है।

यदि सरकारें वाकई गरीबों के लिए चिंतित है तो पहले घोटाले कराना बंद करें तथा इन्हीं पैसों से मूलभूत आवश्यक सेवाओं पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च करें जिससे ये गरीब स्वयं मोबाइल खरीदने की हैसियत प्राप्त कर सकें। ❑

स्वतंत्रता व जवाबदेही एक सिक्के के दो पहलू

हम यह अवश्य जोड़ना चाहेंगे कि इस देश की न्यायपालिका को बाहर से उतना खतरा नहीं है जितना स्वयं इसके अन्दर से है। जजेज की नियुक्ति के बारे में इस विधेयक में कुछ नहीं किया गया है लेकिन उस पर आज जितनी उंगलियां उठ रही हैं वे पूरी न्याय प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। इस स्थिति को बयां करने के लिए ये शेर काफी है–

"मेरा इज्म इतना बलन्द है कि पराये शोलों का डर नहीं।
मुझे खौफ आतिशे-ए-गुल से है कहीं ये चमन को जला न दे।।"

○अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

स्वतंत्रता व जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू है इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिना जवाबदेही के स्वतंत्रता, स्वतंत्रता न होकर बल्कि स्वच्छन्दता हो जाती है।

देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति, एस. एच. कपाड़िया ने १५ अगस्त को अपने सम्बोधन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र करके एक बार पुनः इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी ऐसे समय में आयी है जब न्यायिक जवाबदेही विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्य सभा में पारित होने के लिए लंबित है।

आज वास्तविकता तो यह है कि जवाबदेही के अभाव में लोकतंत्र के सारे स्तम्भ अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह असफल हो गये हैं तथा उसके ठीक विपरीत इनके कार्यों में निरंकुशता, स्वच्छन्दता ऐसे घुल गयी है जैसे पानी में आक्सीजन। जहां तक इस न्यायिक जवाबदेही विधेयक की बात है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जजेज की स्वतंत्रता बाधित करे, लेकिन इसको पास कराने के पीछे सरकार की मंशा भी साफ नहीं है। सरकार यह विधेयक इसलिए नहीं ला रही है कि न्यायपालिका जवाबदेह बने व आम आदमी को त्वरित न्याय मिले बल्कि वह न्यायमूर्तियों द्वारा सरकार के काम काज उसकी कार्य प्रणाली पर कई बार अपने observation से ऐसे गंभीर प्रश्न चिन्हि लगा दिए कि सरकार को उनका जवाब नहीं सूझा इसलिए ही इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि कोई भी न्यायमूर्ति किसी भी संवैधानिक व विधिक संस्था के विरुद्ध कोई टिप्पणी न कर सके और यदि उसने जुर्रत की तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी।

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सदैव ही संविधान के इस प्रमुख अंग को अपने कब्जे में करने की कोशिश की है लेकिन हर समय कोई न कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने खड़ा हो गया कि सरकार को अपने कदम पीछे खीचने पड़े।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई नहीं बाधित कर सकता कम से कम यह विधेयक तो बिल्कुल ही नहीं। यह विधेयक एक बंदर घुड़की मात्र है जजेज को डराने के लिए कि सत्ता से टकराव न लें लेकिन जजेज को यह मालूम है कि सांच को आंच नही आती। जो

इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, योग्य हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, जो भ्रष्ट, अयोग्य हैं उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी होगी वह भी ज्यादा नहीं क्योंकि सत्ता सदैव गलत कार्य कराने का प्रयास करती है या किए गये गलत कार्य को जायज ठहराने की।

मुख्य न्यायाधीश की विधि मंत्री की मौजूदगी में टिप्पणी–

"We judges are not afraid of accountability but judicial independence must not be

शेष पेज ३ पर...

"हम लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है"

कपाड़िया Suitable Adjustment की भाषा बोल रहे हैं

'संवैधानिक ढ़ांचे का विधिशास्त्र' विषय पर अपने व्याख्यान में मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने जो कहा उससे लगा कि यह सेवा निवृत्ति के बाद Suitable Adjustment की भाषा है। यह सुनकर तो और अधिक हैरानी हुई "हम लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है।"

न्यायिक जवाबदेही बिल पर न्यायिक स्वतंत्रता पर बेबुनियाद टिप्पणी के बाद विधिमंत्री सलमान खुर्शीद ने जिस तरह लीपा पोती की उसके ठीक डेढ़ हफ्ते बाद यह बात सरकार को खुश करने वाली है।

अपने संम्बोधन में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश को चलाने, नीतियां बनाने की कोशिश जजों को नहीं करनी चाहिए। जजेज को फैसला देते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि वे लागू किये जा सकते हैं या नहीं। उनकी फैसले के संदर्भ में थी जिसने सोने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार एवं न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान ने लिखा "Right of privacy and the right to speach have always been treated to be a fundamental right like a right to breathe, to eat, to drink to blink etc." न्यायपालिका के कामकाज की समीक्षा करते हुए कपाड़िया ने हैरत जतायी कि तब क्या होगा जब कार्य पालिका न्यायपालिक के उन निर्देशों को मानने से इनकार कर देगी जो लागू करने लायक नहीं है।

यहां मैं मुख्य न्यायाधीश व न्यायपालिका से ससम्मान पूछना चाहता हूं कि आज भी कार्यपालिका, न्यायपालिका के निर्देशों को कहां मान रही है चाहे कार्य स्थान पर महिलाओं का उत्पीड़न (१९९७ विशाखा केस के दिशा निर्देश) हों, (२००६ पुलिस सुधार के निर्देश) हों, ऐसे ही अन्य अनेक फैसले तो न्यायपालिका कार्यपालिका का क्या बिगाड़ ले रही है। बता दूं कि ये फैसले ऐसे हैं जिनको लागू करने में कार्यपालिका को कोई अड़चन नहीं आनी थी।

एक अहम प्रश्न है यह भी है कि जब विधायिका के काम में न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कार्यपालिका द्वारा

शेष पेज ३ पर...